

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:—

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा में जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार हेतु 0.140 हे० सिविल भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.170 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में नौटी-छातोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार की स्वीकृत शासनादेश संख्या 4305/111(2)/11-16 (मु०मं०घो०)/2011 दिनांक 16/09/2011 के द्वारा 4.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रु० 50.32 लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 1.00 कि०मी० आती है।

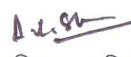
प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्व स्वीकृत नौटी-छातोली-चौरासैण मोटर मार्ग के कि०मी० 7.00 से प्रारम्भ हो कर भटगवाली गाँव तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम-भटगवाली प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय आदिबद्री से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरक्षण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल वन भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1-नाप भूमि 0.80 कि०मी० x 7 मी०	=	0.560 हे०
2-सिविल वन भूमि 0.200 कि०मी० x 7मी०	=	0.140 हे०
3-मक डिस्पोजल हेतु	=	0.030 हे०
योग	=	0.730 हे०

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.170 हे० सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर